उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 संख्या **\$\$2**/2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादूनः: दिनांकः: 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के क्रम में, किसी कटौतीकर्ता को, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन किसी पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, राज्य के भीतर माल या सेवा या दोनों की पूर्ति प्राप्त करता है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट प्रदत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि कटौतीकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (Vi) के अधीन अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी। 2.

प्रमुख सचिव

सं0 **532**/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन०आई०सी०
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

(हीरा सिंह बसेड़ा)

अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. \$32 / 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. \$32/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dehradun:: Dated:: 29 June, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council, is pleased to allow to exempt intra-State supplies of goods or services or both received by a deductor under section 51 of the said Act, from any supplier, who is not registered, from the whole of the State tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the said Act, subject to the condition that the deductor is not liable to be registered otherwise than under sub-clause (vi) of section 24 of the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary